शोध मंथन, Impact Factor 6.726 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com/* https://doi.org/10.31995/shodhmanthan

सामाजिक समता के साथ दलितोत्थान में डॉ0 अम्बेडकर की भूमिका : एक अध्ययन

डॉ0 प्रीतम कुमार यादव
राजनीति विज्ञान विभाग, ति0मां0भा0वि0वि0,भागलपुर
ई–मेलpritam42183@gmail.com

सारांश

कीचड़ में कमल खिलने जैसी बातों को चिरितार्थ करने वाले एक दलित परिवार में जन्में बाब साहेब डॉ0 भीम राव अम्बेडकर ने न केवल अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर परिवार और समाज में सामाजिक विषमता के बीच एक उदाहरण पेश किया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर संविधान निर्माण और देश के पहले कानून मंत्री के रूप में कई ऐसे कार्य किये हैं जिससे देश उन्हें हमेशा सम्मान के साथ याद करता रहेगा। डॉ0 भीम राव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में इन्दौर के पास महू छावनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल जो कबीर के अनुयायी थे, माता भीमा बाई और पत्नी रामा बाई थी। बचपन का नाम भीम सकपाल था। पढ़ाई के दौरान अम्बेडकर नामक शिक्षक से अधिक स्नेह के कारण अपना नाम अम्बेडकर रख लिया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र में हुई। 1907 में सितारा से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। 1912 में बड़ोदा के महाराज के द्वारा दी गई छात्रवृति के रूपये से विदेश शिक्षा के लिए अमेरिका गये। 1916 में बड़ौदा आकर सेना के सचिव पद पर नियुक्त हुए। 1920 में लन्दन में एम0एस0सी0 तथा 1921 में 'दी प्रॉब्लम ऑफ दी रूप' शोधग्रंथ के साथ–साथ लॉ की पढ़ाई शुरू किये। 1923 में भारत आकर वकालत करने लगे। 1927में बहिस्कृत भारत नामक पत्रिका भी लिखे तथा अनेक प्रकार के कहानियां छपी। 1929–30 में गांधीजी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। 19 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति गठित हुई जिनके अध्यक्ष डॉ0 भीम राव अम्बेडकर हुए। प्रारूप समिति में एन0 गोपलस्वामी अययंगर, अलादि कृष्णास्वामी अययर, मो0 सादुल्ला, के0एम0 मुंशी, बी0एल0 मित्तर और डी0पी0 खैतान । कुछ समय बाद बी0एल0 मित्तर के जगह एन0 माधव राव को तथा 1948 में डी0पी0 खैतान के मृत्यु हो जाने पर टी0टी0 कृष्णामाची सदस्य हुए। 26 जनवरी 1949 को 299 सदस्यों में से 284 सदस्यों ने नव निर्मित भारतीय संविधान में अपनी आस्था/सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर बना दिये। भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। डॉ0 भीम राव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची जो वर्त्तमान में 12 अनुसूची है। अनुच्छेद 46,341,342 अनुसूचित जाति/जन जाति से संबंधित है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर हिन्दु धर्म के अनुयायी थे जो बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिये थे। उनका देहावसन 5 दिसम्बर 1956 को दिल्ली में हुआ था।

मुख्य शब्द–*प्रस्तु शोध आलेख विश्लेषणात्मक एवं वर्णात्मक प्रकृति का है। शोध कार्य के लिए विभिन्न स्त्रोतो का उपयोग किया गया है। उसके लिए मुख्यतः प्रकाशित ग्रन्थ, पत्र–पत्रकिओं में छापे विवरण, निबंध एवं लेख, आलेख, इन्टरनेट, गुगल तथा विभिन्न शोध ग्रन्थों को अध्ययन कर आधार बनाया है।*

प्रस्तावना

बाबा साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी एक महान कानूनवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री तथा समाजिक चिंतक थे। उनका संघर्ष मुख्यतः पद–दलित वर्गों को जागृत करने में निर्णायक सिद्ध हुआ। लेकिन उनकी मुख्य उपलब्धि भारतीय संविधान के निर्माण की है, जिसके अन्तर्गत मौलिक अधिकार के रूप में छुआछूत का निषेध और दलितोत्थान तक कारगर हुआ। डॉ अम्बेडकर ने प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थिति में महाराष्ट्र 'बम्बई' के एलिफिस्टन महाविद्यालय से सन् 1912 में बी0ए0 की परीक्षा पास की, अमेरिका के कोलम्बिया विश्वविद्यालय से सन् 1915 में एम0ए0 तथा सन् 1916 में नेशनल डिविडेण्ड ऑफ इण्डिया, हिस्टोरिकल उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने अर्थशास्त्र के गंभीर एवं सूक्ष्म अध्ययन हेतु लन्दन स्कूल ऑफ इकॉनोमिक्स एण्ड पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश लिया। तत्पश्चात 1921 में प्रॉविन्सियल डीसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ इम्पीरियल फाइनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया शोध प्रबन्ध पर एम0एस0सी0 तथा 1922 में 'द प्रॉब्लम ऑफ दी रूपी' पर डी0एस0सी0 की उपाधि प्राप्त की बाद में बार एट लॉ की पदबी भी हासिल किये।[1]

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दलित के लिए संविधान में विशेष सुविधा प्रदान किये हैं। संविधान में राज्य के नागरिकों और विशेष रूप से कमजोर वर्ग दलित के कल्याण के प्रति बचनबद्ध है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें वर्णित राज्य के नीति–निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत अधिकार और 38,39 और 46 जैसे विशिष्ट अनुच्छेद जन–कल्याण के प्रति राज्य की बचनबद्धता के प्रमाण है। आरंम्भ में कल्याण कार्यक्रम का उद्वेश्य कुछ बुनियादी उपाचारात्मक और पूनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना था। पिछले दशकों से कल्याण कार्यक्रमों को विकासोन्मुख बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्वेश्य समाज के उपेक्षित और कमजोर दलित जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का अर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास कर दलितों का उत्थान करना है। इसके सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए 25 सितम्बर 1985 में गठित कल्याण मंत्रालय को 25 मई 1998 मे ंनया नाम दिया गया–सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय। [2]

हम जिन लोगों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें अस्पृश्य जातियॉ, अछूत, दलित वर्ग बहिस्त जातियां, हरिजन शब्दों से सम्बोधित किया जाता रहा है। उसी के उत्थान के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने संविधान में कल्याण मंत्रालय का गठन किया था। भारत सरकार के भूतपूर्व विधिमंत्री का कथन है कि हिन्दुओं का अछूतापन एक अन्होनी घटना है। संसार के किसी दूसरे हिस्से में मानवता ने इसका अनुभव नहीं किया है, किसी दूसरे

समाज में इस जैसी कोई चीज है ही नहीं न तो प्रारंभिक समाज में और न ही वर्त्तमान समाज में । [3]

मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है और उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। इससे मनुष्य की छिपी हुई प्रतिभायें जागृत होती है और उसका समग्र व्यक्तित्व निर्मित व विकसित होता है। संक्षेप में डॉ0 अम्बेडकर का मत प्रो0 पोलार्ड के मत से मिलता है कि ''दुर्बल व्यक्तियों की स्वतंत्रता बलवान या अमीर लोगो पर कुछ प्रतिबंध लगाने से ही संभव हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य को स्वतंत्रता ही मिलनी चाहिए उससे अधिक कुछ नहीं। उनको दूसरो के प्रति वही करना चाहिए, जो वे अपने लिए दूसरो से चाहते हैं। इस आपसी सहयोग एवं प्रेम से स्वतंत्रता, समता एवं नैतिकता सुदृढ़ हो सकती है।

उनके अनुसार एक आदर्श समाज में सब व्यक्तियों के विचार मूलतः बंधुत्व युक्त हों। उनमें यह चेतना हो कि सब एक हैं, आपस में सब भाई हैं। उनमें ऐच्छिक रूप से मिलने व उठने–बैठने की स्वतंत्रता हो। संक्षेप में, सब सदस्यों में सामाजिक समस्याओं को साथ–साथ मिलकर सुलझाने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

उनका समता सिद्धांत कुछ विशिष्ट प्रकार के हैं। वे मानते थे कि 'किसी भी व्यक्ति को बिना विशेष परिस्थिति के कोई भी सुविधा एवं प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए ' ।[6]

इसके साथ वे यह भी कहते थे कि 'वे लोग जो बिना सुविधाओं के आगे नहीं बढ़ सकते उन्हें आवश्यक रूप से सुविधायें दी जानी चाहिए और ऐसा कार्य न्याय तथा निष्पक्षता से किया जाना चाहिए' ।[7]

वास्तव में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि हमारे संविधान में ही इस प्रकार के उपबंध किये जाय कि राज्य का स्पष्ट समाजवादी स्वरूप उभरे। भीमराव इस कल्पना के लिए राजकीय समाजवाद (स्टेट सोशलिज्म) शब्द का प्रयोग करते थे। सवंधिान सभा (जिसे धारा सभा भी कहा जाता था) की अल्पसंख्यकों और दलित वर्गो से सम्बन्धित सलाहकार समिति के सामने भीमराव ने सन् 1947 के मार्च माह में एक ज्ञापन पेश किया था जिसमे उन्होंने देश की भावी अर्थव्यवस्था के विषय में अपने विचार रखे थे। यह ज्ञापन एक पुस्तिका के रूप में था जिसका शीर्षक था–'प्रान्त और अल्पसंख्यक'। अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए भीमराव ने लिखा– ''इस योजना के विषय में दो पहलू हैं। एक तो यह कि इसमें आर्थिक जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में राजकीय समाजवाद की स्थापना का सुझाव दिया गया है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें राजकीय समाजवाद की स्थापना का कार्य विधान मण्डल की इच्छा पर नहीं छोड़ा गया है। इस राजकीय समाजवाद की स्थापना संविधान के कानून के अन्तर्गत होगी ताकि विधान मण्डल अथवा कार्यपालिका के किसी कदम से उसमें बदलाव न किया जा सके। जिन लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आस्था है उन्हें तानाशाही से जबरदस्त एतराज है और वे स्वतंत्र समाज के शासनतंत्र के रूप में लोकतंत्र पर जोर देते हैं... अतः हमारी समस्या है कि हमारे यहां बिना तानाशाही का राजकीय समाजवाद हो, हमारा समाजवाद संसदीय प्रणाली के साथ हो।'' [8]

नवीन अर्थ–व्यवस्था में अति–निर्धन, पद्दलित, निर्बल और अतिपिछड़े लोगों के न्याय संगत हितों की संरक्षण होना अतिआवश्यक है अन्यथा जनतांत्रिक संसदीय व्यवस्था के मुख्य आदर्श न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व का भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। जिसका सीधा प्रभाव दलित पर पड़ेगा और दलित का अर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो पायेगा।[9]

दलितों के उत्थान व विकास के संदर्भ में डॉ0 अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में दो महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, जिसमें प्रथम धर्मांतरण और द्वितीय दलितों की एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इण्डिया के सूचीकरण का। यद्यपि हिन्दू धर्म के प्रतिरोध भावना और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेने पर डॉ0 अम्बेडकर का दृष्टिकोण मूलतः धर्म निरपेक्षवादी ही बना रहा। अम्बेडकर ने धर्म परिवर्त्तन का यह कार्य दलितों के लिए समानता की स्थिति और एक अलग पहचान प्राप्त करने के लिए किया था, मुक्ति या अन्य किन्हीं धार्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नहीं। [10]

इस तरह अम्बेडकर का लक्ष्य दलितों को सामुदायगत रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर सक्षम व मजबूत करना था। इस मुकाम तक पहुंचने के पूर्व उन्होंने 1936 में स्वतंत्र मजदूर पार्टी, 1942 में अनुसूचित जाति संघ बनाने का प्रयास किय, किन्तु पूर्ण सफलता नहीं मिल सकी। किन्तु आज सफलता जरूर दृष्टिगोचर हो रही है, कि दलित जागरूक हो उठे हैं, संगठित हो रहे हैं और उनकी मानसिकता बदल रही। स्मरणीय है कि डॉ0 अम्बेडकर ने अप्रैल 1927 में 'बहिष्कृत भारत' पाक्षिक की शुरूआत की थी। दलित वर्ग आज भी समाज में 'बहिष्कृत' ही माने जाते हैं। दलितों को मुख्यधारा में आने के लिए, एक प्रतिष्ठित जीवन पाने के लिए दूसरों के साथ संघर्ष पर विश्वास करना होगा। साथ ही दलित एवं सवर्ण दोनों के दिमागी परिवर्त्तन की बुनियाद पर ही वास्तविक अर्थ में दलित विकास की अवधारणा चरितार्थ हो सकती है और दलित मुख्य सामाजिक धारा में अपनी सकारात्मक भूमिका को स्थापित कर सकते हैं जो प्रत्येक प्रजातांत्रिक व समतावादी समाज की विशेषता है। [11]

निष्कर्ष

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बाब साहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने दलितोत्थान में सामाजिक समता को बनाये रखने का भरपूर प्रयास किया है। दलितोत्थान में समाज के किसी भी वर्ग को निराश करना उनका मकसद नहीं रहा। उनका लक्ष्य दलितों को सामुदायगत रूप से सामाजिक एवं राजनीतिक तौर पर सक्षम व मजबूत करना था। एक ओर जहां उन्होंने दलित वर्गो को अपने काम के प्रति जागृत किया है वहीं दूसरी ओर स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कहा है 'किसी भी व्यक्ति को बिना विशेष परिस्थिति के कोई भी सुविधा एवं प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए '।

संदर्भ ग्रंथ

1 जाटव,डॉ0 डी0आर0–*डॉ0 अम्बेडकर का नैतिक–दर्शन,* **पृ0–5ए** 6 समता साहित्य सदन,जयपुर राजस्थान–1996.

2 मदन, डॉ0 जी0आर0– *समाज कार्य,* पृ0–**192**, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली–7, 2004.

3 मदन, डॉ0 जी0आर0– *समाज कार्य,* पृ0–**194**, विवेक प्रकाशन जवाहर नगर दिल्ली–7, 2004.

4 पोलार्ड, ए0एफ0, *द इवॉल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट,* 1920, पृ0–**183–184.**

5 बी0आर0 अम्बेडकर, *एनिहिलेशन ऑफ कास्ट,* 1936,पृ0–**38**.

6 बी0आर0 अम्बेडकर, *सोशल प्रिंसिपल्स एंड इ डिमोक्रेटिक स्टेट,* पृ0–**10**.

7 बी0आर0 अम्बेडकर, *व्हॉट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अण्टेबिल्स,* 1946,पृ0–**137**.

8 बाबा साहब डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर, तुलसी साहित्य पब्लिकेशन, पृ0–**144–145**.

9 जाटव, डॉ0 डी0आर0– *डॉ0 अम्बेडकर का आर्थिक विचार,* पृ0–**5** समता साहित्य सदन, जयपुर राज0–1996.

10 बारा, नीरा, दि टाइम्स ऑफ इण्डिया, 20 अप्रैल–1988,पृ0–**03**.

11 आर्य, जियालाल, *दलित कहां जाएं,* पूर्वोक्त, पृ0–**24**.